(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4481–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–4–11 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 603/बी–121/10–11.

श्रीमती ज्योति पाठक पत्नी अवधेश कुमार पाठक
निवासी ई.एम. 128, नेहरू नगर, भोपाल .....आवेदिका

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 12/9/12 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदिका द्वारा निगरानी मेमों में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार उल्लिखित किये गये हैं कि उसके द्वारा ग्राम बरखेड़ा नाथू तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 537/2 रकबा 0.51 एकड़, भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी मांगीलाल आत्मज नन्नूलाल से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 8–5–2000 के माध्यम से कय की जाकर राजस्व अभिलेखों में आवेदिका का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है । आवेदिका का मौके पर शांतिपूर्ण आधिपत्य विद्यमान है । जब आवेदिका द्वारा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि विकय करने हेतु जानकारी प्राप्त की, तब उसे ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–4–11 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि को पट्टे की भूमि

होना मानकर अहस्तांतरणीय होना प्रविष्टि कर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों को अनदेखा कर मात्र वर्ष 1959 की खसरा प्रविष्टि में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज होना मानकर अहस्तांतरणीय प्रविष्टि करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि वर्ष 1959 से लेकर 1980 तक पट्टे की भूमि के हस्तान्तरण पर विधि द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी, और वर्ष 1980 में जो संशोधन अंतःस्थापित हुआ था, वह भूतलक्षी प्रभाव से न होकर लागू होने की तिथि से मान्य हुआ था । ऐसी स्थिति में वर्ष 1977 में हुए अन्तरण एवं पश्चातवर्ती अन्तरण के आधार पर भूमि को अहस्तान्तरणीय घोषित नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि आवेदिका को वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदाय नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि किसी व्यक्ति के हित किसी आदेश से प्रभावित होते हों तो, ऐसे व्यक्ति को आदेश पारित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना इस्तहार जारी किये मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर एक ही कार्य दिवस में अंतिम आदेश पारित कर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों का पालन हीं नहीं किया गया । आवेदिका के पूर्ण भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि, जिसे उसने बहुमूल्य बाजार दर से प्रतिफल अदा कर क्रय किया है, को अहस्तान्तरणीय दर्शा दिया गया है, जो कि आवेदिका के प्रति hardship की श्रेणी में आता है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अहस्तान्तरणीय शब्द को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया

4/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय में यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–4–11 के विरूद्ध दिनांक 18–4–13 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, परन्तु उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि इस न्यायालय में लगभग 4 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त आवेदिका द्वारा विलम्ब का कारण

अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आदेश की सूचना नहीं दिया जाना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–11 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर